

	(ख) ग्राम परिषद के विघटन के दौरान ग्राम परिषद के सभी अधिकार और कर्तव्यों का प्रयोग प्रशासक द्वारा इसके लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा । (4) ग्राम परिषद के गठन के लिए चुनाव ग्राम परिषद के विघटन से छह माह की अवधि के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा ।	
	50. यदि दो या दो से अधिक ग्राम परिषदों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने पर इसे उपायुक्त के पास भेज दिया जाता है, इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।	ग्राम परिषदों के बीच विवाद
	51. प्रशासक अथवा सचिव जनजाति कल्याण अथवा उपायुक्त किसी अधिकारी अथवा ग्राम परिषद के कार्यवाही के रिकार्ड में पारित किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के लिए जाँच हेतु मांग सकते हैं और जैसा वह सही समझे आदेश में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं ।	प्रशासक अथवा उपायुक्त कार्यवाही मांग सकता है
	अध्याय VII द्वीप परिषद	
	52. प्रत्येक द्वीप में परिषद के गठन के लिए प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी किया जाएगा, उसे द्वीप परिषद कहा जाएगा ।	द्वीप परिषद का गठन
	53. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद में उतना सदस्य शामिल होगा जितना प्रशासक अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगा । (2) इस विनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित द्वीप परिषद के ग्राम साधारण निकाय के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक द्वीप परिषद के कैप्टन का चुनाव किया जाएगा । द्वीप में प्रत्येक गाँव के सभी फर्स्ट कैप्टन का चुनाव बीच से उप कैप्टन का चुनाव करेंगे । द्वीप परिषद में चीफ कैप्टन, वाइस कैप्टन और गाँव का फर्स्ट कैप्टन सदस्य के रूप में शामिल होंगे । (3) धारा 11 की उपधारा (5) और (6) के प्रावधान जहाँ तक हो सकें द्वीप परिषद के लिए भी लागू होगा, जैसा कि यह ग्राम परिषद के लिए लागू होता है । परिवर्तन के अधीन रहते हुए फर्स्ट कैप्टन के स्थान पर चीफ कैप्टन प्रतिस्थापित किया जाएगा ।	द्वीप परिषद का संघटक
	54. निगमित निकाय के रूप में धारा 52 के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में नाम द्वारा अधिसूचित द्वीप परिषद जिसके पास चिरस्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर हो और बशर्ते कि इस विनियम के द्वारा अथवा तत्समय लागू अन्य विधि के अन्तर्गत ऐसे प्रतिबन्ध और शर्तें लगाई हों जो उक्त नाम से विवादित अथवा अविवादित, चल और अचल सम्पत्ति को खरीदने, रखने, देखरेख करने और सम्पत्ति हस्तान्तरण की शक्ति रखता हो ।	